न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–26/2019

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र श्री बद्री जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
2. काना पुत्र श्री बद्री जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   2/1 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/2 कालू पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/3 गोपाल पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/4 पप्पू पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/5 श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/6 चांदू पुत्री स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/7 सतु पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/8 श्रीमती लाड पत्नी स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)

.... **वादीगण**

बनाम

1. मांगू आत्मज श्री बालू जाट जाति जाट नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गोपी आत्मज श्री गणेश नायक जाति नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक बजाय–
   2/1 रामेश्वर पुत्र श्री गोपी नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्रीमती गेदी पत्नी श्री भैरू नायक जाति नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री पृथ्वीराज चौधरी उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 19–02–2026

वादीगण की ओर से श्री पृथ्वीराज चौधरी , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 19–02–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने वादीगण की ग्राम औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1036 एक हजार छत्तीस रकबा 0.2150 हैक्टयर भूमि स्थित है, प्रतिवादी 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1036 मे से 0.0100 हैक्टयर एवं 0.0200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 का व आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 19.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–26 / 2019

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र श्री बद्री जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
2. काना पुत्र श्री बद्री जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   2/1 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/2 कालू पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/3 गोपाल पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/4 पप्पू पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/5 श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/6 चांदू पुत्री स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/7 सतु पुत्र स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)
   2/8 श्रीमती लाड पत्नी स्व0 श्री काना जाट जाति जाट कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)

.... **वादीगण**

बनाम

1. मांगू आत्मज श्री बालू जाट जाति जाट नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गोपी आत्मज श्री गणेश नायक जाति नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक बजाय–
   2/1 रामेश्वर पुत्र श्री गोपी नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्रीमती गेदी पत्नी श्री भैरू नायक जाति नायक नि0 कलुन्दिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... **प्रतिवादीगण**

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु</u>

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री पृथ्वीराज चौधरी उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

<u>–:: निर्णय ::–</u>

दिनांक 19.03.2026

यह है कि यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात सरहद कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 406 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 806 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा, आराजी नम्बर 804 रकबा 01 एक बीघा 14 आराजी नम्बर 805 रकबा 14 जो कि वादीगण के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के सगक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 14/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 01 मार्च 2019 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी नम्बर 804 एवं 805 के उत्तरी मेड पर करीब 04 बिस्वा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 02 ने आराजी नम्बर 406 रकबा 01 बीघा 12 बिरवा की पश्चिी मेड की तरफ आबादी व रोड़ के अटेच हिस्से की तरफ ढाई बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 03 तीन ने 02 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया गया जबकि उक्त आराजीयात के किसी भी भू–भाग से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी की गई व पटवारी व गिरदावर द्वारा दिनांक 10 जून 2019 को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 का आराजी नम्बर 804 एवं 805 के उत्तरी मेड पर करीब 04 बिस्वा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 02 का आराजी नम्बर 406 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा की पश्चिमी मेड की तरफ मे आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1036 एक हजार छत्तीस रकबा 0.2150 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है

तथा वादीगण ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 55/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 14 जून 2018 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 को होने पर माह मार्च 2022 मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 1036 मे से 0.0100 हैक्टयर एवं 0.0200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 का व आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा कब्जा कर अपनी आराजी में मिला दिया, जिससे दिनांक 25 मई 2022 को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादीगण की आराजी नम्बर 1036 में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया।

वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एंव 02 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक एवं 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 05 पांच जुलाई 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहर औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1036 में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1035 मे से 0.1200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह मार्च 2022 दो हजार बाईस को कब्जा कर लेने व दिनांक 25 पच्चीस मई 2022 दो हजार बाईस को मौका पर्चा बनने

व दिनांक 05 पांच जुलाई 2022 दो हजार बाईस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी हैं। कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1036 मे से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0. 0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1035 मे से 0–1200 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वांदीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तलबी करने पर ज्ञात हुआ कि वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 02 फौत हो गया है जिसकी पालना में वादी वकील द्वारा दिनांक 23.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 22 नियम 04 व 09 धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया तथा दिनांक 03. 11.2022 को संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। पत्रावली में संशोधित अनवान की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 2/1, 03 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 2/1, 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण संख्या 01 जगन्नाथ पुत्र श्री बद्रीलाल जाट जाति जाट नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2074–2077 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 14/2019 पारित आदेश दिनांकित 01.03.2019 की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 10.06.2019 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी। मौका देखने से पहले भू–अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित पड़ौसियान जिसमें कि प्रतिवादी मांगू आत्मज श्री बालू जाट जाति जाट नि0 कलुन्दिया एवं गोपी आत्मज गणेश नायक नि0 कलुन्दिया भी है उसको भी सूचनापत्र जारी किये थे और उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया था।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है

की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत् 2074–77 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01, 02 2/1, 03 ने वादीगण की ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 804 एवं 805 पर प्रतिवादी संख्या 01 का 04 बिस्वा व आराजी संख्या 406 पर 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 2/1, 03 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 19.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड कलेक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा